

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 33
वित्तीय सेवाएं विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008	संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	पूँजी	जोड़	59.98
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	8.00
अन्य राजकोषीय सेवाएं		8.00
2. अन्य व्यय	2047	5.19
(विशेष न्यायालय एवं संखक का कार्यालय)		5.19
अन्य प्रशासनिक सेवाएं		5.19
3. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए		2.18
अपीलीय प्राधिकरण	2070	2.18
4. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	2070	7.95
5. ऋण वसूली न्यायाधिकरण	2070	29.03
6. पेंशन निधि विनियामक और विकास		6.30
प्राधिकरण को सहायता अनुदान	2070	6.30
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		6.30
7. नवम्बर 1984 के दंगों से पीड़ित व्यक्तियों		0.01
को ऋण पर व्याज राहत	2235	0.01
8. अन्य व्यय	2235	0.50
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		0.50
9. अन्य व्यय	3475	0.82
(परिसमापन के न्यायालय का कार्यालय,		0.82
कोलकाता)		0.82
10. ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)		0.01
10.1 डीआरटी के भवनों के निर्माण		0.01
के लिए भूमि की खरीद	4059	0.01
10.2 डीआरटी के लिए भवनों का		0.01
निर्माण		0.01
कुल जोड़		जोड़	60.00
							60.00

1. यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है।

2. यह प्रावधान प्रतिभूतियों में होने वाले लेनदेनों सहित अनियमितताओं की जांच करने हेतु गणित अभियंकर और विशेष न्यायालय के कार्यालय के लिए है।

3-5. यह प्रावधान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा ऋण वसूली अधिकरणों के लिए है।

6. यह प्रावधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को अनुदान मुहैया कराने के लिए है।

7. यह प्रावधान नवम्बर 1984 के दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर व्याज राहत देने के लिए है ताकि वे अपनी सामान्य व्यवसाय में पुनः स्थापित हो सकें और अपनी मकानों आदि की मरम्मत करा सकें।

8. यह प्रावधान भारत की पेंशन प्रणाली को सुधारने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण करने हेतु आईडीएफ अनुदान के लिए है।

9. इसमें परिसमापक न्यायालय के कार्यालय, कोलकाता और गरीबों के लिए संरक्षित बजट स्कीम के बीमा तत्व के लिए प्रावधान शामिल हैं।

10. यह प्रावधान ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण करने के लिए है।